

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,

मध्यप्रदेश

क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल-05/ 2018/65

भोपाल, दिनांक 12/01/2018

--: आदेश :-

प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से डॉ अजय कुमार बड़ोनिया, सर्जरी विशेषज्ञ एवं उप संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, कार्यालय क्षेत्रीय संचालक, सागर संभाग, सागर का स्थानांतरण एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से अन्य आगामी आदेश तक संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल में उप संचालक के पद पर किया जाता है।

प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित



(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक (प्रशासन)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म०प्र०

भोपाल, दिनांक 12/01/2018

पृ०क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल-05/ 2018/66

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 01 विशेष सहायक मान. मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल म०प्र०।
- 02 विशेष सहायक मान. राज्य मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
- 03 प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल, म०प्र०।
- 04 स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल, म०प्र०।
- 05 मिशन संचालक (एन०एच०एम०), जेल रोड, भोपाल, म०प्र०।
- 06 क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, सागर एवं भोपाल- म०प्र०।
- 07 संयुक्त संचालक (कार्यालय स्थापना), स्थानीय कार्यालय, भोपाल, म०प्र०।
- 08 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सागर, भोपाल म०प्र०।
- 09 सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय सागर, भोपाल, म०प्र०।
- 10 जिला कोषालय अधिकारी जिला सागर, भोपाल म०प्र०।
- 11 आहरण एवं संवितरण अधिकारी, स्थानीय कार्यालय, भोपाल, म०प्र०।
- 12 संबंधित अधिकारी की ओर तत्काल पालनार्थ :- द्वारा क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, सागर संभाग,।
- 13 प्रमारी एम०आई०एस०, स्थानीय कार्यालय, भोपाल म०प्र०।
- 14 आदेश नस्ती।



अपर संचालक (प्रशासन)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म०प्र०

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल-05/ 2018/63

भोपाल, दिनांक 12/01/2018

--: आदेश :-


संचालनालय के आदेश क्रमांक 01जी/विज्ञप्त/सेल-05/2017/2031 दिनांक 10.07.2017 के द्वारा डॉ सुनील सिंह, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दमोह जिला बालाघाट का स्थानांतरण ऑन लाईन आवेदन में दिए विकल्प 03 अनुसार "स्वयं के व्यय पर" जिला चिकित्सालय पन्ना किया गया।

डॉ सुनील सिंह, चिकित्सा अधिकारी, द्वारा पारिवारिक कारणों से "स्वयं के व्यय पर" किए गए उक्त स्थानांतरण को निरस्त किए जाने हेतु अभ्यावेदन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बालाघाट के माध्यम से संचालनालय को प्रेषित किया गया।

दमोह निवासी श्री लक्ष्मण कुमार सोनी, द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सक की पदपूर्ति के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय जबलपुर में जनहित याचिका 11222/2017, दायर की गई जिसमें डॉ सुनील सिंह के स्थान पर अन्य चिकित्सक की पदस्थापना न होने के संबंध में अवगत कराया गया। चिकित्सकों की पदपूर्ति की कार्यवाही एक सतत प्रक्रिया है एवं उपलब्धता अनुसार शीघ्र पदस्थापना संबंधी कार्यवाही की जावेगी। दमोह के आमजन हेतु निकट में ही सा0स्वा0के0 बैहर में चिकित्सक उपलब्ध हैं।

चूंकि डॉ सुनील सिंह, चिकित्सा अधिकारी का उक्त स्थानांतरण ऑन लाईन आवेदन में दिए गए विकल्प अनुसार "स्वयं के व्यय पर" किया गया है एवं जिला पन्ना में चिकित्सकों के अत्यधिक पद रिक्त हैं, डॉ सुनील सिंह, चिकित्सा अधिकारी का उक्त स्थानांतरण विरुद्ध अभ्यावेदन एतद् द्वारा अमान्य किया जाता है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बालघाट, डॉ सुनील सिंह, चि0अ0 को स्थानांतरित स्थल हेतु कार्यमुक्त करें एवं डॉ सिंह को शीघ्र पदस्थापना स्थल पर कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।
स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित



(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,

*म0प्र0

भोपाल, दिनांक 12/01/2018

पृ0क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल-05/ 2018/64

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय, जबलपुर, म0प्र0।
02. विशेष सहायक मान. मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल म0प्र0।
03. विशेष सहायक मान. राज्य मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
04. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल, म0प्र0।
05. स्वास्थ्य आयुक्त, म0प्र0।
06. मिशन संचालक, एन0एच0एम0, जेल रोड, भोपाल, म0प्र0।
07. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग म0प्र0।
08. कलेक्टर जिला बालाघाट म0प्र0।
09. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला, बालाघाट म0प्र0।
10. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय जिला बालाघाट म.प्र.।
11. जिला कोषालय अधिकारी, जिला बालाघाट म0प्र0।
12. संबंधित अधिकारी, डॉ सुनील सिंह, चि0अ0, की ओर तत्काल पालनार्थ द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बालाघाट म0प्र0।
13. प्रभारी एम0आई0एस0, स्थानीय कार्यालय, भोपाल, म0प्र0।
14. आदेश नस्ती।



अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
म0प्र0

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल-05/ 2018/

भोपाल, दिनांक /01/2018

—:: आदेश ::—

प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से डॉ सुषमा निगम, स्त्रीरोग विशेषज्ञ, सिविल अस्पताल के. एन.के.भोपाल को सिविल डिस्पेंसरी सतपुड़ा भवन, भोपाल में एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से पदस्थ किया जाता है।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होंगे।

प्रमुख सचिव द्वारा आदेशित

//
(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
म0प्र0

पृ0क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल-05/ 2018/ 56

भोपाल, दिनांक 12/01/2018

प्रतिलिपि:— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 01 विशेष सहायक मान. मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल म0प्र0।
02. विशेष सहायक मान. राज्य मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
03. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल, म0प्र0।
04. स्वास्थ्य आयुक्त, म0प्र0।
05. मिशन संचालक, एन0एच0एम0, जेल रोड, भोपाल, म0प्र0।
06. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग म0प्र0।
07. कलेक्टर जिला भोपाल म0प्र0।
08. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला, भोपाल म0प्र0।
09. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय जिला भोपाल म.प्र.।
10. जिला कोषालय अधिकारी, जिला भोपाल, म0प्र0।
11. संबंधित अधिकारियों की ओर तत्काल पालनार्थ द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भोपाल, म0प्र0।
12. प्रभारी एम0आई0एस0, स्थानीय कार्यालय, भोपाल, म0प्र0।
13. आदेश नस्ती।

(T) 5-1118
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
म0प्र0

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश**

क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल-05/ 2018/51


भोपाल, दिनांक 11/01/2018

-:: आदेश ::-

प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित कॉलम क्रमांक 02 में अंकित अधिकारियों का स्थानांतरण/ प्रभार परिवर्तन, कॉलम क्रमांक 03 में अंकित वर्तमान पदस्थापना स्थल से, कॉलम क्रमांक 04 में अंकित पदस्थापना स्थल पर, एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से अन्य आगामी आदेश तक किया जाता है :-

क्र	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना स्थल	नवीन पदस्थापना स्थल
01	02	03	04
1.	डॉ सी.बी.सोलंकी	संयुक्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल	प्राचार्य क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, इंदौर
2.	डॉ अशोक कुमार डागरिया	प्रभारी, प्राचार्य क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, इंदौर	ट्रामा सेन्टर सह आकस्मिक चिकित्सा सेवायें, जिला चिकित्सालय इंदौर

प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित



(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म०प्र०

पृ०क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल-05/ 2018/52

भोपाल, दिनांक 11/01/2018

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. विशेष सहायक मान. मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल म०प्र०।
02. विशेष सहायक मान. राज्य मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
03. प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल, म०प्र०।
04. स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल, म०प्र०।
05. मिशन संचालक(एन०एच०एम०), जेल रोड, भोपाल, म०प्र०।
06. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इंदौर एवं भोपाल- म०प्र०।
07. संयुक्त संचालक(कार्यालय स्थापना), स्थानीय कार्यालय, भोपाल, म०प्र०।
08. प्राचार्य क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, इंदौर, म०प्र०।
09. कलेक्टर जिला इंदौर, भोपाल म०प्र०।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला इंदौर, भोपाल म०प्र०।
11. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय इंदौर, म०प्र०।
12. जिला कोषालय अधिकारी जिला इंदौर, भोपाल म०प्र०।
13. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, स्थानीय कार्यालय, भोपाल, म०प्र०।
14. संबंधित अधिकारियों की ओर तत्काल पालनार्थ।
15. प्रभारी एम०आई०एस०, स्थानीय कार्यालय, भोपाल म०प्र०।
16. आदेश नस्ती।


अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म०प्र०

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,

मध्यप्रदेश

क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल-05/ 2018/53

भोपाल, दिनांक 11/01/2018

-:: आदेश ::-

प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित कॉलम क्रमांक 02 में अंकित अधिकारियों का स्थानान्तरण/ प्रभार परिवर्तन, कॉलम क्रमांक 03 में अंकित वर्तमान पदस्थापना स्थल से, कॉलम क्रमांक 04 में अंकित पदस्थापना स्थल पर, एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से अन्य आगामी आदेश तक किया जाता है :-

क्र	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना स्थल	नवीन पदस्थापना स्थल
01	02	03	04
1.	डॉ वंदना विश्नार खरे डी.टी.सी.डी.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला खरगौन	संयुक्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल
2.	डॉ संजय भट्ट, शिशु रोग विशेषज्ञ	जिला टीकाकरण अधिकारी, खरगौन	प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला खरगौन
3.	डॉ प्रमोद खरे चिकित्सा अधिकारी	जिला चिकित्सालय, खरगौन	क्षय चिकित्सालय, भोपाल

प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित



(विवेक श्रोत्रिय)


अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म०प्र०

पृ०क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल-05/ 2018/ 54

भोपाल, दिनांक 11/01/2018

प्रतिलिप:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. विशेष सहायक मान. मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल म०प्र०।
02. विशेष सहायक मान. राज्य मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
03. प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल, म०प्र०।
04. स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल, म०प्र०।
05. मिशन संचालक(एन०एच०एम०), जेल रोड, भोपाल, म०प्र०।
06. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इंदौर एवं भोपाल- म०प्र०।
07. कलेक्टर जिला खरगौन, भोपाल .म०प्र०।
08. संयुक्त संचालक(कार्यालय स्थापना), स्थानीय कार्यालय, भोपाल, म०प्र०।
09. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला खरगौन एवं भोपाल म०प्र०।
10. जिला कोषालय अधिकारी जिला खरगौन एवं भोपाल .म०प्र०।
11. अधीक्षक, क्षय चिकित्सालय भोपाल, म०प्र०।
12. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, स्थानीय कार्यालय।
13. संबंधित अधिकारियों की ओर तत्काल पालनार्थ - द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला खरगौन।
14. प्रभारी एम०आई०एस०, स्थानीय कार्यालय, भोपाल म०प्र०।
15. आदेश नस्ती।



अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म०प्र०

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल-05/ 2018/ 44


भोपाल, दिनांक 9/01/2018

--: आदेश :-

डॉ केके खोसला, सर्जरी विशेषज्ञ एवं प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बालाघाट के दिनांक 31.01.2018 को शासकीय सेवा से सेवा निवृत्त होने के फलस्वरूप, प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बालाघाट के पद का प्रभार, डॉ मनोज पाण्डे, रेडियोलॉजिस्ट एवं प्रभारी डी०एच०ओ० जिला बालाघाट को सौंपा जाता है।

डॉ खोसला, दिनांक 31.01.2018 को डॉ मनोज पाण्डे, प्रभारी डी०एच०ओ० को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बालाघाट का प्रभार सौंपेंगे।

प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य द्वारा आदेशित

 9.1.18

(विवेक श्रोत्रिय)


अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
म०प्र०

भोपाल, दिनांक 9/01/2018

पृ०क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल-05/ 2018/ 45

प्रतिलिप:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 01 विशेष सहायक मान. मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल म०प्र०।
02. विशेष सहायक मान. राज्य मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
03. प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल, म०प्र०।
04. स्वास्थ्य आयुक्त, म०प्र०।
05. मिशन संचालक, एन०एच०एम०, जेल रोड, भोपाल, म०प्र०।
06. संचालक(एन०एच०एम०), जेल रोड, भोपाल, म०प्र०।
07. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग म०प्र०।
08. कलेक्टर जिला बालाघाट म०प्र०।
09. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला, बालाघाट म०प्र०।
10. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय जिला बालाघाट म.प्र.।
11. जिला कौषालय अधिकारी, जिला बालाघाट म०प्र०।
12. संबंधित अधिकारियों की ओर पालनार्थ म०प्र०।
13. प्रभारी एम०आई०एस०, स्थानीय कार्यालय, भोपाल, म०प्र०।
14. आदेश नस्ती।



अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
म०प्र०

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश**

क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल-05/ 2018/

भोपाल, दिनांक /01/2018

-:: आदेश ::-

प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित कॉलम क्रमांक 02 में अंकित अधिकारियों का स्थानान्तरण/ प्रभार परिवर्तन, कॉलम क्रमांक 03 में अंकित वर्तमान पदस्थापना स्थल से, कॉलम क्रमांक 04 में अंकित पदस्थापना स्थल पर, एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से अन्य आगामी आदेश तक किया जाता है :-

क्र	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना स्थल	नवीन पदस्थापना स्थल
01	02	03	04
1.	डॉ विद्यासागर वाजपई, मेडिकल विशेषज्ञ,	जिला चिकित्सालय छतरपुर	प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छतरपुर
2.	डॉ अशोक कुमार तिवारी निश्चेतना विशेषज्ञ	प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छतरपुर	जिला चिकित्सालय, सीधी (निश्चेतना विशेषज्ञ के पद पर)
3.	डॉ.पी.के.चतुर्वेदी	संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रीवा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, होशंगाबाद
4.	डॉ.दिलीप कुमार कटैलिहा जिला स्वास्थ्य अधिकारी	प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, होशंगाबाद	उप संचालक, कार्यालय क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल

प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित


//
(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म०प्र०

पृ०क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल-05/ 2018/ 20

भोपाल, दिनांक 5/01/2018

प्रतिलिप:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 01 विशेष सहायक मान. मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल म०प्र०।
- 02 विशेष सहायक मान. राज्य मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
- 03 प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल, म०प्र०।
- 04 स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल, म०प्र।
- 05 मिशन संचालक (एन०एच०एम०), जेल रोड, भोपाल, म०प्र०।
- 06 क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल, रीवा एवं सागर- म०प्र०।
- 07 कलेक्टर जिला भोपाल, छतरपुर, रीवा, सीधी एवं होशंगाबाद म०प्र०।
- 08 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भोपाल, छतरपुर, रीवा, सीधी एवं होशंगाबाद म०प्र०।
- 09 जिला कोषालय अधिकारी जिला भोपाल छतरपुर, रीवा, सीधी एवं होशंगाबाद म०प्र०।
- 10 संबंधित अधिकारियों की ओर तत्काल पालनार्थ।
- 11 प्रभारी एम०आई०एस०, स्थानीय कार्यालय, भोपाल म०प्र०।
- 12 आदेश नस्ती।


अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म०प्र०

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश

क्र./सं.स्वा.से./स्था./2018/

भोपाल, दिनांक 4/1/2018

// आदेश //

डॉ. योगेश तिवारी, सर्जिकल विशेषज्ञ (न्यूरोसर्जन), डॉ. कैलाशनाथ काटजू हॉस्पिटल, भोपाल को आगामी आदेश तक सप्ताह में चार दिवस जयप्रकाश चिकित्सालय, भोपाल में निम्न शर्तों पर कार्य किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

1. डॉ. योगेश तिवारी सप्ताह में 04 दिवस अपनी सेवायें जयप्रकाश चिकित्सालय, भोपाल में उपलब्ध करायेगे अर्थात् सोमवार, मंगलवार, बुधवार एवं गुरुवार, इसमें दो दिवस बाह्य रोगी विभाग में आने वाले मरीजों का उपचार करेगे एवं दो दिवस बाह्य रोगी विभाग से भर्ती हुये मरीजों की सर्जरी का कार्य संपादित करेगे।
2. डॉ. योगेश तिवारी द्वारा भर्ती किये गये मरीजों का नियमित फॉलोअप प्रतिदिन किया जाना होगा।
3. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत 0 से 18 वर्ष के न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट या अन्य सर्जरी योग्य बच्चे यदि चिन्हांकित होते हैं तो कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित मॉडल कॉस्टिंग की राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा स्वीकृत कर सिविल सर्जन को प्रदाय की जावेगी इस राशि का उपयोग मरीज के उपयोग हेतु लगने वाली आवश्यक सामग्री एवं उपकरण के क्रय पर किया जावेगा। यदि सामग्री एवं उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है तो इस मॉडल कॉस्टिंग पैकेज की राशि में से 75 प्रतिशत राशि चिकित्सालय के उन्नयन हेतु (अर्थात् उपकरण या वार्ड में लगने वाली आवश्यक सामग्री के लिये) तथा शेष 25 प्रतिशत राशि कार्यरत चिकित्सकीय टीम को प्रोत्साहन के रूप में दी जावे। 0 से 18 वर्ष के किसी भी बच्चे से सर्जरी शुल्क नहीं लिया जाना है।
4. यदि कोई बी.पी.एल. मरीज है एवं न्यूरो सर्जन द्वारा उसकी सर्जरी संपादित की जाती है तथा वह सर्जरी राज्य बीमारी सहायता योजना अंतर्गत चिन्हांकित है तो राज्य बीमारी सहायता अंतर्गत निर्धारित पैकेज अनुसार राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा सिविल सर्जन को प्रदाय की जावेगी। जिसका व्यय आवश्यक उपकरण एवं औषधि आदि पर किया जावे।
5. अन्य ए.पी.एल. मरीजों की सर्जरी के लिये शुल्क का निर्धारण रोगी कल्याण समीति द्वारा किया जावे एवं अन्य स्वास्थ्य सेवायें मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध करायी जावे। डॉ. योगेश तिवारी द्वारा चिकित्सालय में कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत सिविल सर्जन द्वारा चिकित्सालय में इनके द्वारा की जाने वाली सर्जरी हेतु चार बेड निर्धारित किये जावेगे तथा इनमें निधमित्त सेवायें हेतु आवश्यक नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्था सिविल सर्जन द्वारा की जावेगी।
6. डॉ. योगेश तिवारी सप्ताह में एक दिवस अपनी सेवायें डी.ई.आई.सी. में आने वाले बच्चों के परीक्षण हेतु देगे।

डॉ. योगेश तिवारी के द्वारा दी जा रही सेवाओं की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा एक माह उपरांत करने पर यदि प्रगति उपयुक्त परिलक्षित होती है तो संभाग के अन्य जिलों में भी बच्चों के परीक्षण हेतु मासिक भ्रमण कार्यक्रम निर्धारित किया जावेगा। उपरोक्त शर्तों पर डॉ. योगेश तिवारी सर्जिकल विशेषज्ञ (न्यूरोसर्जन), डॉ. कैलाशनाथ काटजू चिकित्सालय, भोपाल को उपरोक्त शर्तों पर जयप्रकाश चिकित्सालय, भोपाल में सेवायें दिये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होंगे।

(आयुक्त, स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित)

अपर संचालक

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

भोपाल, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 4/1/2018

पृ.क्र./सं.स्वा.से./स्था./2018/10

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश।

2. आयुक्त, स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।
4. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
5. संचालक, अस्पताल प्रशासन, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
6. संचालक, एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।
7. संचालक, परिवार कल्याण, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
8. कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समीति, भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
9. क्षेत्रीय संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश।
10. उपसंचालक, राज्य बीमारी सहायता योजना, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
11. उपसंचालक, आर.बी.एस.के., एन.एच.एम. भोपाल, मध्यप्रदेश।
12. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
13. संचालक, एस.ई.आई.आर.सी., जिला चिकित्सालय, भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
14. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
15. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन.एच.एम., भोपाल, मध्यप्रदेश।
16. जिला नोडल अधिकारी, आर.बी.एस.के., भोपाल, मध्यप्रदेश।
17. अधीक्षक, डॉ. कैलाशनाथ काटजू हॉस्पिटल, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
18. संबंधित डॉ. योगेश तिवारी सर्जिकल विशेषज्ञ (न्यूरोसर्जन), डॉ. कैलाशनाथ काटजू हॉस्पिटल, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

311

अपर संचालक

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
भोपाल, मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,

मध्यप्रदेश

क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल-05/ 2017/ 7

भोपाल, दिनांक 3/12/2017

—:: आदेश ::—

प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से डॉ अरुण नायक, चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय सतना की सेवायें, एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से दो वर्ष की अवधि हेतु गृह विभाग अंतर्गत पुलिस चिकित्सालय सतना के अधीन सौंपी जाती है।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित



(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,


म0प्र0

भोपाल, दिनांक 3-1-18
/12/2017

पृ0क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल-05/ 2017/ 8

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 01 विशेष सहायक गान. मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय वल्लभ भवन-भोपाल म0प्र0।
02. विशेष सहायक गान. राज्य मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
03. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल, म0प्र0।
04. स्वास्थ्य आयुक्त, म0प्र0।
05. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कल्याण/लेखा), पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश।
06. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, सागर संभाग, रीवा म0प्र0।
07. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सतना म0प्र0।
08. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय जिला सतना म.प्र.।
09. पुलिस अधीक्षक, जिला सतना, म0प्र0।
10. जिला कोषालय अधिकारी, जिला सतना म0प्र0।
11. संबंधित अधिकारी, डॉ अरुण नायक, चि0अ0, जिला चिकित्सालय सतना द्वारा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय सतना, म0प्र0।
12. प्रभारी एम0आई0एस10, स्थानीय कार्यालय, भोपाल, म0प्र0।
13. आदेश नस्ती।



अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
म0प्र0